न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

(1) अपील संख्याः—103/2017/223 (2017/00103)

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र हरजी, जाति रावत, निवासी ग्राम भूणाभाय, तहसील व जिला अजमेर जरिये मुख्त्यारआम अमरसिंह वर्मा पुत्र सेडूराम वर्मा, जाति दर्जी, निवासी कांकरदा भूणाभाय, तह0 व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 16.3.2017 अंतर्गत वाद संख्या 80/2012.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री बकुल कुमार वर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

(2) अपील संख्याः—116/2017/223 (2017/00116)

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र हरजी, जाति रावत, निवासी ग्राम भूणाभाय, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
2. महर्षि दयानन्द सरस्वतीत विश्वविद्यालय, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 16.3.2017 अंतर्गत वाद संख्या 80/2012.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री बकुल कुमार वर्मा, रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः– 30.12.2019

1. हस्तगत दोनों अपीलें विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के निर्णय एव डिक्री दिनांक 16.3.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे पृथक–पृथक प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में दोनों प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कांकरदा भूणाभाय, तह0 अजमेर अवस्थित आराजी खसरा नंबर साबिक 2 रकबा 1–7–00 किस्म बारानी–3 जिसके हाल खसरा नंबर 3 रकबा 1–7–00 एवं साबिक खसरा नंबर 440 हाल खसरा नंबर 487 रकबा 1–10–00 किस्म बारानी–3 कुल किता 2 कुल रकबा 2–17–00 बीघा अवस्थित है । उक्त भूमि पर वादी के पिता हरजी वल्द मोूती रावत, सा0देह के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संतव् 2018 से 2021 में गैर खातेदार किसान श्री सरकार दर्ज रही है उक्त आराजी पर उनके समय में वादी के पिता काबिज काश्त रहे है तथा उनकी मृत्यु उपरांत वादी उक्त आराजी पर शांतिपूर्व काबिज है किन्तु राजस्व अभिलेख संवत् 2022 से 2025 में उक्त आराजी को बिना किसी अधिकार के बिलानाम सिवायचक दर्ज कर दिया गया है जिसका खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह दो पृथक–पृथक अपीले इस न्यायालय में पेश की है।
3. दोनों अपीलें एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध होने तथा तथा पक्षकारान एवं विवादित भूमि समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे ।
4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी के विरूद्ध करने में भारी त्रुटि कारित की है जबकि वादी के पिता जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 में आराजी मुतनाजा पर बतौर गैर खातेदार काबिज दर्ज थे, व उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलांट आराजी मुतनाजा पर बतौर कृषक काबिज चला आ रहा है जिसकी पुष्टि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई खसरा गिरदावरी से होती है । पूर्व में वादी के पिता हरजी पुत्र मोती आराजी मुतनाजा पर बतौर गैर खातेदार काबिज रहे है तो उनका नाम किस आधार से हटाया गया इस बाबत् विपक्षी की ओर से कानून प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि स्वंय अधी0न्याया0 ने लिखा है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत धारा 15 व 19 के तहत कोई कृषक दर्ज है तो उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाएगें । अपीलांट के पिता हरजी जमाबंदी में दर्ज इंद्राज के आधार पर गैर खातेदार कृषक दर्ज थे, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 14 के तहत क्लास आफ टीनेन्सट में सबक्लॉज –14(सी) के अनुसार कृषक दर्ज है जिनसे उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे किन्तु अधी0न्याया0 ने कानून को भली प्रकार न समझकर गैर खातेदार को टिनेन्ट न मानते हएु अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्राप्त न होना मानकर वादी का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की

है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि खसरा नंबर 487 जिसके दो टुकड़े कायम किये गये जिसके अनुसार खरसरा नंबर 487/1 व 487/2 इनमें से 487/2 का इंद्राज तो हरजी वल्द मोती के नाम दर्ज कर दिया गया किन्तु खसरा नंबर 487/1 को गलत तौर पर सिवायचक दर्ज किया है ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 का निर्णय अस्पष्ट व गैर कानूनी है । बहस में आगे कथन किया कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम गलत दर्ज की गई है । प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उनके अधिवक्ता ने न तो कोई जवाबदावा पेश किया है न ही कोई सबूत पेश किया है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 2 का निर्णय भी गलत तौर पर वादी के विरूद्ध पारित किया है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा किसी भी प्रकार से साबित नहीं है न ही उनका कोई जवाबदावा ही पेश हुआ है इसके विपरीत वादी ने खसरा गिरदावरियों व मौखिक बयानों से वादी का कब्जा साबित किया है । बहस में आगे कथन किया कि तनकी संख्या 3 का निर्णय भी गलत है क्योंकि नामांतकरण की अपील करना वादी के लिये आवश्यक नही है क्योंकि वादी ने नियमित वाद प्रस्तुत कर दिया है व आराजी मुतनाजा बारानी 3 किस्म की भूमि है जिसका लगान हमेशा से माफ है । अतः गलत तौर पर लगान अदा न करना मानते हुए तनकी संख्या 3 का निर्णय के विरूद्ध किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 एवं रेस्पो0 संख्या 2 ने संयुक्त रूप से बहस करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 से ही सिवायचक दर्ज है जो वर्किंग जमाबंदी में भी सिवायचक दर्ज हुई है । विवादित भूमि सिवायचक होने से ही रेस्पो0 संख्या 2 को आवंटित की गई है तथा वर्तमान में विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज होकर कब्जा रेस्पो0 संख्या 2 का ही चला आ रहा है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः दोनों अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु 3 तनकियात कायम की है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विवादित कभी भी वादी के पिता हरजी के नाम खातेदारी हक से दर्ज नहीं होकर अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में सिवाचक दर्ज थी तत्पश्चात् के राजस्व रिकार्ड में भी विवादित आराजियात सिवायचक दर्ज रही है । जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 में हरजी गैर खातेदार श्री सरकार के रूप में दर्ज रहा है जिससे विवादित भूमि हरजी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है क्योंकि काश्तकारी अधि0 में धारा 13 के तहत खुद काश्त के अभिधारी, धारा 15–1 के तहत कृषक एवं धारा 19 के तहत उप कृषक को काश्तकारी अधि0 के प्रभाव में आने के समय उपरोक्तानुसार दर्ज होने एवं तब से वाद प्रस्तुति तक लगातार कब्जा काश्त सिद्ध होने पर ही खातेदारी प्राप्त हो सकती है लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादी के पिता एवं वादी उक्त श्रेणी में नहीं आते है जिससे वादी को विवादित आराजी

की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है । पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 28.12.2018 एवं बयान दिनांक 9.1.2017 के अनुसार भी विवादित आराजी खसरा नंबर 487/1 रकबा 1—10—00 बीघा सिवायचक दर्ज था जिसे महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को आवंटित कमी जाकर उक्त आवंटन का वर्किंग जमाबंदी में इंद्राज दर्ज है तथा उक्त आवंटन की पालना में रेस्पो0 संख्या 2 के नाम नामांतकरण संख्या 106 तस्दीक किया जा चुका है । वादी/अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसमें हमे कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती । उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

8. अतः अपील दोनों अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2017 यथावत् रखे जाते है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर